

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 25.03.2023

व्यापारी के साथ कूटरचना द्वारा छल व धोखाधड़ी करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह के 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, पैसा व अन्य सामान बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान व धोखाधड़ी की घटनाओं के खुलासे हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कैण्ट गोरखपुर के कुशल निर्देशन में रणधीर कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट के कुशल नेतृत्व में 30नि0 धीरेन्द्र राय चौकी प्रभारी जटेपुर, 30नि0 सुधांसु सिंह चौकी प्रभारी मोहदीपुर, 30नि राजवंश सिंह द्वारा मय कैण्ट टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 220/23 धारा 420/406/506 भादवि बढोत्तरी धारा 386/411/419/467/120बी भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. मनोज दूबे पुत्र स्व0 ध्रुव जी दूबे निवासी ग्राम भलुवनी पोस्ट बडहरा थाना खुखुन्दु जनपद देवरिया 2. राधेश्याम सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पुत्र स्व0 सीताराम सिंह निवासी धतुराखास टोला बडीललिया थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया 3. अमित कुमार शुक्ला पुत्र स्व0 पारसनाथ शुक्ला निवासी गायत्री नगर कूडाघाट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को धोखाधड़ी का 2,30,000/- रुपये व फर्जी 07 अदद आधार कार्ड और 3 अदद पैन कार्ड के साथ श्रम विभाग गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी मुकदमा कि बेलीपार क्षेत्र मे फर्निचर की दुकान है। अभियुक्तगण दुकान पर जाते है और उससे मेल जोल करके दोस्ती बढाते है और वादी को होटल मे फर्निचर व बेड बनाने का ठेका दिलवाने का झासा देकर होटल मालिक से मिलने के लिए अवंतिका होटल बुलाते है। जब वादी मुकदमा होटल पहुँचता है तो मालिक का इंतजार करने के बहाने टाइम पास के नाम पर मुंगफली के सहारे वादी मुकदमा के साथ जुआ खेलते है और ठगी कर पहले उसको 45 लाख रुपये जीतना बताते है और जब वादी मुकदमा लालच मे आकर और जुआ खेलने लगता है तो फिर झांसा देकर 15 लाख रुपये की जुआ मे हार बताकर उससे पैसे की वसुली करते है। वादी को डरा धमका कर उससे 4 लाख रुपये ले लेते है और शेष 11 लाख रुपये के लिए उसको धमकी देकर रंगदारी मांगते है।

धोखाधड़ी करने का तरीका- अभियुक्तगण द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा ठगी का तरीका जुआ पर आधारित है जिसके लिए उनके द्वारा मुंगफली, चना, राजमा या किसी प्रकार की छोटे सामान का इस्तेमाल कुल 60 की संख्या में किया जाता है। जिसमें से एक, दो, तीन, चार की संख्या मे मुंगफली चार अलग अलग जगहो पर निकाल कर रखी जाती है और इन्ही चारो संख्याओ पर खेलने वाला व्यक्ति पैसे का दाव लगाता है और जो व्यक्ति जुआ खेला रहा होता है वह शेष बची मुंगफलियो को चार के गुणांक में हिस्सा लगाता है जिसमें जो व्यक्ति जुआ में दाव लगा रहा है वह जिस संख्या का चयन करता है वही संख्या अंतिम मे शेष बचती है और वह व्यक्ति संख्या पर लगाये गये पैसे को हार चुका होता है। यह गेम पुरी तरह से गणित के फार्मुले पर आधारित है जिसमें सम व विषम संख्याओ के आधार पर जीत हार का फैसला होता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. मनोज दूबे पुत्र स्व0 ध्रुव जी दूबे निवासी ग्राम भलुवनी पोस्ट बडहरा थाना खुखुन्दु जनपद देवरिया
2. राधेश्याम सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पुत्र स्व0 सीताराम सिंह निवासी धतुराखास टोला बडीललिया थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया
3. अमित कुमार शुक्ला पुत्र स्व0 पारसनाथ शुक्ला निवासी गायत्री नगर कूडाघाट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 220/23 धारा 420/406/506/ 386/411/419/467/120बी भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

- (I) धोखाधड़ी से अर्जित किया गया कुल 2,30,000/- रुपया बरामद
- (II) फर्जी व कूटरचित 7 अदद आधार कार्ड और 3 अदद पैन कार्ड
- (III) घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल ग्लैमर व एक अदद सुजुकी अल्टो

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार राय चौकी प्रभारी जटेपुर थाना कैण्ट गोरखपुर
2. उ0नि0 सुधांशु सिंह चौकी प्रभारी मोहदीपुर थाना कैण्ट गोरखपुर
3. उ0नि0 राजवंश सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 संजीत यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. कां0 चंद्राकार यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
6. कां0 टीपू सुल्तान थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
7. कां0 आशीष चौधरी थाना कैण्टल जनपद गोरखपुर
8. उ0नि0 छोटे लाल राय सर्विलांस टीम गोरखपुर
9. हे0कां0 मनोज चौधरी सर्विलांस टीम गोरखपुर
10. हे0कां0 नामित मिश्रा सर्विलांस टीम गोरखपुर
11. हे0कां0 अरुण यादव सर्विलांस टीम गोरखपुर
12. कां0 अशोक चौधरी सर्विलांस टीम गोरखपुर